डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड़ अधिकारी नदबई
व इजलास श्री हेमराज गुर्जर,आर.ए.एस
आशीष पटेल बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 171/2019
यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी
मिनजानिब मुद्दद्व व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व
डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि आराजी खाता स. 565 के खसरा नम्बर 1467 रकवा 4.06 हैक्ट. खाता स. 383 के खसरा नम्बर 1465 रकवा 0.20, 1466 रकवा 0.30 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकवा 0.50, वाके ग्राम झारकई तहसील नदबई में जिला भरतपुर में स्थित है, पर दर्ज गलत नाम छत्तरसिंह पुत्र मोती को कलमजन किया जाकर आशीष पटेल पुत्र मोतीसिंह नाम शुद्ध किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।
दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18.11.2020 को जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

दस्तखत—— सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

मुहर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:03:36 IST
Reason: SelfAttested

18/11/20
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Web Copy - Not Official

1. आशीष पटेल पुत्र मोतीसिंह पटेल आयु 35 जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील नदबई। असल प्रतिवादी
2. चरनसिंह पुत्र मोती गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
3. निर्भयसिंह पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
4. प्रेमसिंह पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
5. प्रशान्त पुत्र भगवानसिंह जाति निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
6. रघुवीर पुत्र लक्खी जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
7. रूपसिंह उर्फ शिवसिंह पुत्र पूरनसिंह जाट निवासी ग्राम झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
8. श्राजीव पुत्र भगवानसिंह जाट निवासी निवासी ग्राम झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर(राज0)
9. रामकली पत्नि मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
10. रामस्वरूप पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

—तर— प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:03:36 IST
Reason: SelfAttested

Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई

पीठासीन अधिकारी– श्री हेमराज गुर्जर , आर.ए.एस

वाद संख्या– 171/2019

किस्म मुकदमा– दावा 88,89,189 आर.टी.ए.

तारीख निर्णय – 18.11.2020

1. आशीष पटेल पुत्र मोतीसिंह पटेल आयु 35 जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0) –वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील नदबई। – असल प्रतिवादी
2. चरनसिंह पुत्र मोती गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
3. निर्भयसिंह पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
4. प्रेमसिंह पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
5. प्रशान्त पुत्र भगवानसिंह जाति निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
6. रघुवीर पुत्र लक्खी जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
7. रूपसिंह उर्फ शिवसिंह पुत्र पूरनसिंह जाट निवासी ग्राम झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
8. श्राजीव पुत्र भगवानसिंह जाट निवासी निवासी ग्राम झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर(राज0)
9. रामकली पत्नि मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
10. रामस्वरूप पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम झारकई नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

–तर– प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री अशोक कुमार

पैरवीकार सरकार तहसील नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:03:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा ... आर.टी.ए. दिनांक 18.11.2020

1. यह कि पक्षकारान मुकदमा में ऐंसा कोई व्यक्ति नही है। जो दावा लडने योग्य ना हो यानि दानों पक्षकारान मुकदमा लडने में सक्षम है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

2. .यह आराजी खाता स. 565 के खसरा नम्बर 1467 रकवा 4.06 हैक्ट. खाता स. 383 के खसरा नम्बर 1465 रकवा 0.20, 1466 रकवा 0.30 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकवा 0.50, वाके ग्राम झारकई तहसील नदबई में जिला भरतपुर में स्थित है। नकल जमाबंन्दी संवत 2073–76 व मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 एव. दा.खा.स. 573 वाके ग्राम झारकई पेश है।

3. .यह कि दावा में वर्णित मद स. 2 की आराजीयात वादी व तर. प्रतिवादी प्रति. स. 2 लगायत 4 व 9 व 10 के पिता मोती की खातेदारी की आराजीयात जो मोती के मरने के बाद वादी एवं तरतीवी प्रति स. 2 लगायत 4 व 9 व 10 को जरिये विरासतन दाखिला खारिज स. 573 से प्राप्त हुई है।

4. .यह कि वादी का शैक्षिक दस्तावेज एवं राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, एवं अन्य सभी दस्तावेज में नाम आशीष पटेल दर्ज है। जो वादी का सही नाम है। लेकिन वादी को ग्राम में मुहवोला नाम छत्तरसिंह है। इसलिए वादी के पिता मोती के मरने के बाद दाख्लिा खारिज चढाते समय वादी का मुहवोला नाम छत्तरसिंह जो गलत दर्ज कर दिया है। जिसके मुताबिक हाल जमाबंन्दी संवत 2070–76 में वादी का नाम मुहबोला नाम छत्तरसिंह पुत्र मोती गुर्जर दर्ज कर दिया गया है। जो कि काबिल कलमजन एवं दुरूस्ती योग्य है। इसलिए वादी अपने गलत नाम जो जमाबंन्दी संवत 2073–76 के खाता स. 565, 383 वाके ग्राम झारकई में छत्तरसिंह पुत्र मोती गलत दर्ज कर दिया है को कलमजन किया जाकर सही नाम आशीष पटेल दर्ज कर दुरूस्त करवाये जाने के अधिकारी है तद्‌नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करा पाने का अधिकारी है।

5. यह है कि वादी न अपने क्रेडिट कार्ड की पत्रावली तैयार कराने हेतु दिनलांक 30.10.2019 को हल्का पटवारी से जमाबंन्दी तैयार करवाने हेतु गया तो हल्का पटवारी ने वादी को गलत नाम छत्तरसिंह दर्ज चला आ रहा के बारे में जानकारी दी तथा कार्ट में दावा पेश करके शुद्धी करवाने को कहा तो बिना किसी देरी के दावा न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

6. यह है कि दावा राज0 सरकार के खिलाफ पेश किया जा रहा है जिसके लिए दफा 80 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है उसमें समय 2 माह का लगेगा तथा दावा अर्जन्ट नेचर का है इसलिए परमिशन हेतु दफा 80(2) का नोटिस दावा के साथ संलग्ल पेश है। तथा विवादति आराजी एवं पक्षकारान वाके ग्राम झारकई में स्थित है। तथा न्यायालय श्रमासन को सुनवाई का पूर्ण अधिकार है।

अतः वाद पत्र वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि विवादित आराजी वाद पत्र की मद सं. 2 अकिंत आराजी ख0न0 1467, 1465, 1466 वाके ग्राम झारकई में वादी के गलत नाम छत्तरसिंह को कलमजन किया जाकर सही नाम आशीष पटेल दुरूस्त कर घोषित किया जावें तद्‌नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:03:36 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को ज[illegible] तलव किये गये प्रतिवादी स. 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होकर अपना जबाव [illegible] तथा प्रतिवादीगण स. 2 लगायत 10 की और से श्री ओमप्रकाश परासर उपस्थित हुए साथ ही इनकी ओर से इकबाल दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जबाव मे वादी का नाम शैक्षिक दस्तावेज एव रिकार्ड के आधार पर नाम शुद्ध किया जाना सम्भव बताया गया है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

वादीगण के वाद पत्र एवं जबाब दावा के आधार पर निम्नाकिंत तनकीयात कायम की गई जो निम्न प्रकार है:–

1. आया वादी विवादित आराजी ख0न0 1467, 1465, 1466 वाके ग्राम झारकई में वादी के गलत नाम छत्तरसिंह को कलमजन कर सही नाम आशीष पटेल दुरूस्त करापाने के अधिकारी है।

–जिम्मेवादीगण

2. आया वादी मुताबिक रिकार्ड शैक्षिक दस्तावेज एव रिकार्ड के आधार पर नाम शुद्ध किया जा सकता है।

–जिम्मेप्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन में नकल हाल जमाबन्दी सम्वतं 2073–2076 वाके ग्राम झारकई, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम झारकई , नकल नामन्तकरण विरासतन दाखिला खारिज स. 573 वाके ग्राम झारकई ,आधार कार्ड, आयकर विभाग पेन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र वादीस्वयं का,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 की 10 वीं अंकतालिका, कार्यालय अधीक्षक राज्य क्रेन्द्रिय मुद्रणालय विभाग जयपुर प्रमाण पत्र, भामाशाह प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र छाया प्रति, राशन कार्ड छाया प्रति पेश की गई। तथा मौखिक ब्यान के रूपमें स्वयं वादी आशीष पटेल, रामलाल, लोकेश के शपथ पत्र पेश किये गये।

प्रतिवादी की ओर से कोई भी दरूतावेजी साक्ष्य के रूप मे एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये।

बहस अन्तिम उभयपक्षकारान की सुनी गयी। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में दर्ज वर्णित तथ्यो को दोहराया गया। हमने उभ्यपक्षकारान के अधिवक्ता की बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया निर्णय तनकीवार इस प्रकार है।

1. आया वादी विवादित आराजी ख0न0 1467, 1465, 1466 वाके ग्राम झारकई में वादी के गलत नाम छत्तरसिंह को कलमजन कर सही नाम आशीष पटेल दुरूस्त करापाने के अधिकारी है। :– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था नकल हाल जमाबन्दी सम्वतं 2073–2076 वाके ग्राम झारकई, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम झारकई , नकल नामन्तकरण विरासतन दाखिला खारिज स. 573 वाके ग्राम झारकई ,आधार कार्ड, आयकर विभाग पेन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र वादीस्वयं का,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 की 10 वीं अंकतालिका, कार्यालय अधीक्षक राज्य क्रेन्द्रिय मुद्रणालय विभाग जयपुर प्रमाण पत्र, भामाशाह प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र छाया प्रति, राशन कार्ड छाया [illegible] की गई। जिसमें वादीगण के नाम आशीष पटेल है। तथा इनकी ताहीद में [illegible] मौखिक ब्यान [illegible] रामलाल पुत्र सवाई राम जाति जाट निवासी झारकई व लोकेश पुत्र [illegible] जाति भड़बुजा निवासी नदबई के शपथ पत्र पेश किये गये। उक्त दस्तावेजात से साबित [illegible] कि वादी का असली सही नाम आशीष पटेल है। परन्तु विरासतन का दाखिला खोलते समय वादी का मुहबोला नाम

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:03:36 IST
Reason: SelfAttested

छत्तरसिंह राजस्व रिकार्ड दर्ज कर दिया गया है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी का सही नाम शुद्ध किया जाने की सहमति दी गई है। इसलिए वादी के गलत नाम छत्तरसिंह को कलमजन कर सही नाम आशीष पटेल दुरूस्त करापाने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादी के हक में व प्रतिवादीगण के खिलाफ तय कि जाती है।

2. आया वादी मुताबिक रिकार्ड शैक्षिक दस्तावेज एव रिकार्ड के आधार पर नाम शुद्ध किया जा सकता है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। तनकी सं. 1 के निर्णय अनुसार प्रतिवादी द्वारा वादी का नाम शुद्ध किया जाने हेतु सहमति भी दी गई है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी खिलाफ वं वादीगण के हक तय कि जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के आधर पर वादीगण का वाद पत्र डिक्री के है। अतः आदेश है कि आराजी खाता स. 565 के खसरा नम्बर 1467 रकवा 4.06 हैक्ट. खाता स. 383 के खसरा नम्बर 1465 रकवा 0.20, 1466 रकवा 0.30 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकवा 0.50, वाके ग्राम झारकई तहसील नदबई में जिला भरतपुर में स्थित है, पर दर्ज गलत नाम छत्तरसिंह पुत्र मोती को कलमजन किया जाकर आशीष पटेल पुत्र मोतीसिंह नाम शुद्ध किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई
18/11/20

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:03:36 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official